

पत्रावली

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आज्ञा दिलवाई गई। वकील वादीगण/प्रतिवादीगण व पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादीगण/प्रतिवादीगण व पक्षकारान् की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

17-4-22

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आज्ञा दिलवाई गई। वकील वादीगण/प्रतिवादीगण व पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादीगण/प्रतिवादीगण व पक्षकारान् की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

3-3-22

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आज्ञा दिलवाई गई। वकील वादीगण/प्रतिवादीगण व पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादीगण/प्रतिवादीगण व पक्षकारान् की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

09.05.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आज्ञा दिलवाई गई। वकील वादीगण/प्रतिवादीगण व पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादीगण/प्रतिवादीगण व पक्षकारान् की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)